रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022026-269782
CG-DL-E-02022026-269782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947
No. 89] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 94(अ).— दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम सं0 34) की धारा 147 की उप–धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

(1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–

(i) इन नियमो को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जायेगा।

(ii) ये केन्द्रीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 17–ख में संशोधनः–दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में दिल्ली पुलिस में स्टोरमैन (तकनीकी)(एएसआई) के पद से संबंधित विद्यमान नियम 17–ख (xvii) का विलोप किया जाएगा है तथा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(2) **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

(3) **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–** भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

(4) **अयोग्यता :–**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

(5) **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

(6) **बचावः–** इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	स्टोरमैन (तकनीकी)(एएसआई)
2.	**पदों की संख्या**	:	24 * (2024) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**पदों का वर्गीकरण**	:	समूह 'ग', अराजपत्रित (तकनीकी)
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29200–93300/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है**	:	गैर चयन पद, यदि पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है तथा लागू नहीं जब पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	20 से 27 वर्षो के बीच भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों /अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 102 (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण हो या इसके समकक्ष तथा सरकारी विभाग/किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में इंडेंटिंग, लेखांकन सभी प्रकार के रेडियों स्टोर के भंडारण एवं वितरित करने में तीन वर्षो का व्यवहारिक अनुभव हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष। (ii) उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा तथा किसी भी बीमारी, दोष या विकृति से मुक्त होना चाहिए। (iii) बिना चश्में के अच्छी दृष्टि 6/6, कमजोर दृष्टि (खराब ऑखें) 6/36 चश्मे के साथ सही दृष्टि 6/9 या बिना चश्में 6/12 (दोनों आंखों की)। उम्मीदवार रंग–अंधता से मुक्त होने चाहिए।

			(iv) **लम्बाई** : पुरूष उम्मीदवार :– 165 सें.मी. । पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से. मी शिथिलनीय है। महिला उम्मीदवारः 157 से.मी. पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से. मी शिथिलनीय है। **छाती** : पुरूष उम्मीदवारः– 81–85 से.मी पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से. मी शिथिलनीय है। महिला उम्मीदवारः– लागू नहीं (अ) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को उप–आयुक्त पुलिस (संचार) द्वारा आयोजित छह माह के तकनीकी प्रशिक्षण तथा साथ ही दिल्ली पुलिस अकादमी,झरोदा कलां, नई दिल्ली द्वारा बेसिक पुलिस प्रशिक्षण से गुजरना होगा। उन्हें आयुक्त पुलिस, दिल्ली द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित परेड ड्रिल, फायरिंग, निहत्थे युद्ध तथा शारीरिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त आपराधिक कानून की जानकारी तथा प्रक्रिया, व्यावहारिक पुलिस कार्य, मानवाधिकार इत्यादि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें दिल्ली पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। जो उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं हुए, उनका प्रशिक्षण चार माह तक बढ़ाया जा सकता है तथा इस अवधि के दौरान उन विषयों को उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम दो अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिनमें वे असफल हुए, जिसके न होने पर उनकी सेवा को सीसीएस (अस्थायी सेवाएं) नियमावली, 1965 के अधीन समाप्त कर दिया जाएगा।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	02 वर्ष, (सीधी भर्ती के मामले में)
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	:	ग्रेड में 5 वर्षो की सेवा सहित स्थायी स्टोर क्लर्क (एच सी) में से पदोन्नति ।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	(i) समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में निम्नलिखित सम्मिलित होगें:–

			(1) एक संयुक्त आयुक्त पुलिस –अध्यक्ष (2) दो उपायुक्त पुलिस –सदस्य (आयुक्त पुलिस द्वारा नामित) (ii) समूह ''ग'' 'विभागीय स्थायीकरण समिति' (स्थायीकरण पर विचारार्थ) में निम्नलिखित सम्मिलित होगें:– 1. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस/स्थापना या संयुक्त आयुक्त पुलिस –अध्यक्ष 2. उपायुक्त पुलिस/स्थापना– सदस्य 3. उपायुक्त पुलिस संबंधित जिले/ इकाई से– सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

[फा. सं. 14014/29/2024-यूटीपी-I]

शुभंकर घोष, अपर सचिव (गृह–1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2026

G.S.R. 94(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (Act No. 34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980, namely:

I. Short title and Commencement:

i. This Rule may be called the Delhi Police (Appointment & Recruitment)(Amendment), Rules, 2024.

ii. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Central Gazette.

Amendment of Rule-17-B:- In the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 the existing Rule 17–B (xvii), relating to the post of Storeman (Technical) (ASI) in Delhi Police, shall be deleted and substituted by the following:-

(2) **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix-** The number of posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

(3) **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.** -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

(4) **Disqualification-** No person;-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(5) **Power to relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

(6) **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification of post	Level in the pay Matrix
1	2	3	4
Storeman (Technical) (ASI)	**24* (2024)** *Subject to variation dependent on work load	Group-C, Non Gazetted (Technical)	'Level-5' (29200-93300) of the Pay Matrix

Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits
5	6
(i) Non Selection, if the post is filled by promotion, and (ii) Not applicable when the post is filled through direct recruitment.	Between 20 to 27 years. Relaxable as per orders/instructions issued by Government of India from time to time.

Educational and other qualifications required for the direct recruits
7
(i) 10+2 (Senior Secondary) pass from a recognized Board or its equivalent and having three years practical experience in indenting, accounting, storage and issue of Radio Stores of all types in the Government Department/any other Public Sector unit. OR Bachelor degree from a recognized university or its equivalent. (ii) The candidate should be of sound health, free from any disease, defect or deformity. (iii) Better eye 6/6 without glasses, worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness. (iv) Height: Male candidates: 165 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidate belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Female candidates: 157 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidate belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Chest: Male candidates: 81-85 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidate belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Female candidates: Not applicable. (v) The candidates selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police (Communication) and basic police training side by side to be conducted by the Delhi Police Academy, Jhrodha Kalan, New Delhi. They will also be given training in knowledge of criminal law and procedure, practical police work, human rights etc. besides parade drill, firing, unarmed combat and physical training as prescribed from time to time by the Commissioner of Police, Delhi. They will be required to pass the final examination conducted by the Delhi Police Academy. The training of those who do not pass would be extended by four months and during this period they would be given a maximum of two chances to clear the subjects in which they have failed, failing which their services shall be liable to be terminated under CCS (Temporary Services) Rules, 1965.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**
8	**9**
No	2 years (In case of direct recruits)

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion /deputation /absorption grades from which promotion /deputation/absorption to be made**
10	**11**
By promotion, failing which direct recruitment	Promotion from amongst confirmed Store Clerk (HC) with 5 years service in grade.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
12	
(i) Group-C Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) One Jt. C. P. - Chairman (2) Two DCsP - Members (To be nominated by the Commissioner of Police). (ii) Group-C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Commissioner of Police/Estt. or Jt. CP/Hdqrs - Chairman 2. DCP /Establishment - Member 3. DCP concerned District/Unit -Member	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13
Not Applicable

[F. No. 14014/29/2024-UTP-I]

SHUBHANKAR GHOSH, Addl. Secy. (Home-1)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.02 22:51:17 +05'30'